कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 14-09-2021

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी श्री ए. सतीश गणेश के निर्देश के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी में नागरिक सेवाएँ से संबंधित चरित्र सत्यापन हेतु पूर्व प्रचलित व्यवस्था में चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत होने में हो रही विलम्ब को देखते हुए कमिश्नरेट वाराणसी में नई व्यवस्था लागू की गयी है। जिसमें कमिश्नरेट कार्यालय द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु आवेदन पत्र निःशुल्क आवेदक को उपलब्ध कराया जाता है तथा आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ सिर्फ आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ 50/- रूपये चरित्र सत्यापन शुल्क लेकर आवेदन पत्र जमा कराया जाता है। तत्पश्चात आवेदन पत्र की जाँच हेतु **कमिश्नरेट कार्यालय से थाना व थाना से एलआईयू व एलआईयू से डीसीआरबी क्रमशः अग्रसारित किया जाता है, जाँच के पश्चात आवेदक को सिटीजन चार्टर के अनुसार 15 दिन के अन्दर चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयास किया जाता है।**

कमिश्नरेट वाराणसी में नई व्यवस्था लागू होने से आवेदक को चरित्र सत्यापन आवेदन पत्र भरने में आधार कार्ड के अतिरिक्त किसी अन्य प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे आवेदक को अन्यत्र कहीं भटकना नहीं पड़ता है। साथ ही UPCOP से प्राप्त आनलाईन चरित्र सत्यापन आवेदन पत्र का निस्तारण भी किया जा रहा है। **अबतक माह सितम्बर में आनलाईन 455 लोगों का चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया गया, साथ ही आफलाईन 125 लोगों का चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया गया तथा शेष बचे आवेदनों का त्वरित निस्तारण इसी माह के अन्त तक कर दिया जाएगा।** इस सेवा को और सुगम समयबद्ध बनाया जा रहा है, आवेदकों से आग्रह है कि वो UPCOP ऐप के माध्यम से अपना आनलाईन चरित्र प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लें तथा जिन लोगों का अभी तक निस्तारण न हुआ हो, वो त्वरित निस्तारण हेतु **नागरिक सेवाएँ कमिश्नरेट वाराणसी के हेल्पलाइन नम्बर मो0नं0 7839001550 व 9450176197 पर प्रभारी नागरिक सेवाएँ कमिश्नरेट वाराणसी से सम्पर्क कर सकते है।**

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।